

सिख
हुकम

राजस्व अपील संख्या 62/2020
हुकम या कार्यवाही, मय इनिशियन्स जज
अनवान
अर्जुनसिंह बनाम सरकार

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम को तामील
में जारी हुए

दिनांक 4-12-2020

पक्षकारों के अधिवक्ता उपस्थित । उक्त अपील जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित राजस्व अपील संख्या 11/2020 अनवान अर्जुनसिंह बनाम राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर में पारित आदेश दिनांक 22-6-2020 के विरुद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में दिनांक 24-6-20 को प्रस्तुत की गई थी । जिस पर रीडर न्यायालय संभागीय आयुक्त की टिप्पणी के पश्चात पीठासीन अधिकारी महोदय (संभागीय आयुक्त) जोधपुर का पद तत्समय रिक्त होने से सुनवाई हेतु इस न्यायालय को भिजवाई जाने पर उक्त अपील इस न्यायालय हाजा में दिनांक 25/6/2020 को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांत अधिवक्ता को अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर जिला कलेक्टर पाली के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22-6-20 की पालना एवं प्रभाव को आगामी सुनवाई तिथी तक स्थगित रखे जाने के आदेश दिनांक 25-6-20 को पारित किया गया तथा अप्रार्थीगण के सम्मन जारी किये जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर पाली एवं तहसीलदार सुमेरपुर का रिकॉर्ड तलब किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्राप्त हो चुका है तथा पत्रावली अब बहस में विचाराधीन है ।

चूंकि उक्त अपील जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है तथा संभाग के सभी जिला कलेक्टरों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील के सुनवाई का क्षेत्राधिकार पूर्व जारी कार्यालय आदेशों एवं अंतिम कार्यालय आदेश क्रमांक कोर्ट/डीसी/2018/117 दिनांक 11 मई 2018 के द्वारा संभागीय आयुक्त न्यायालय को ही होने से उक्त अपील की सुनवाई न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में कराने हेतु वर्तमान अपील पत्रावली न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर को स्थानांतरित की जाती है । उक्त अपील इस न्यायालय के दायरा रजिस्टर से जरिये स्थानांतरण कम की जायें । अपीलांत अधिवक्ता इस अपील की अग्रिम सुनवाई हेतु न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में दिनांक 21-12-2020 को उपस्थित होंगे ।

बति • संभागीय आयुक्त
जोधपुर

Naval Singh
A-A